प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –151 / 2023

अनवान : –

1. जगतपाल दत्तक पुत्र भादरसिंह जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. नाथी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 66 / 66 की कुल 6.9170 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 67 की कुल 1.0490 हैक्ट भूमि में से 6388 / 41585 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम अपने पिता फुलाराम की मृत्यु के पश्चात दर्ज हुई। प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपने समस्त हक हिस्सा का त्याग वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी काबिज है। जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावें। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है मुझ प्रतिवादीया को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीया संख्या 1 का इक[illegible] आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वा[illegible] अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:42 IST
Reason: SelfAttested

इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490 हैक्ट भूमि में से 6388/41585 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा गोदनाम की चित्रप्रति पेश की गई है जो की उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी नाथूसरी चौपटा द्वार पंजीकृत है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीया स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीया की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170 हैक्ट भूमि में से 461/3457 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490 हैक्ट भूमि में से 6388/41585 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....15/5/23....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:09:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –151 / 2023
अनवान : –

1. जगतपाल दत्तक पुत्र भादरसिंह जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. नाथी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 151 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170 हैक्ट भूमि में से 461/3457 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490 हैक्ट भूमि में से 6388/41585 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:42 IST
Reason: SelfAttested